रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112022-240447 CG-DL-E-21112022-240447

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739] No. 739] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2022/कार्तिक 30, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2022/KARTIKA 30, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 830(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 नवंबर, 2022 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के प्रावधान, शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय होने के नाते शिक्षुता और व्यावहारिक प्रशिक्षण के निम्नलिखित चार क्षेत्रीय बोर्ड पर लागू होगी और उक्त प्रयोजन के लिए, भारत सरकार की कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों अन्तर्स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

7715 GI/2022 (1)

	_	_
1	2	2
1.	۷.	ა.

"216 व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
217 शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
218 शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
219 शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय"।
[फा. सं. पी-13030/1/2022-एटी] रिश्म चौधरी. अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.िन. 730(अ), तारीख 2 मई 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांको के द्वारा संशोधित की गई थी, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. 1172(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1986;
- (ii) सा.का.नि. 84(अ), तारीख 6 फरवरी, 1987;
- (iii) सा.का.नि. 409(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1987;
- (iv) सा.का.नि. 542(अ), तारीख 11 जुलाई, 1995;
- (v) सा.का.नि. 748(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1998;
- (vi) सा.का.नि. 8(अ), तारीख 4 जनवरी, 2002:
- (vii) सा.का.नि. 499(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006;
- (viii) का.आ. 1228(अ), तारीख 25 जुलाई, 2007;
- (ix) का.आ. 1823(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2007;
- (x) का.आ. 906(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2008;
- (xi) का.आ. 2580(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2008;
- (xii) का.आ. 2824(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2008;
- (xiii) का.आ. 727(अ), तारीख 31 मार्च, 2010;
- (xiv) का.आ. 2411(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010;
- (xv) का.आ. 958(अ), तारीख, 12 अप्रैल, 2013;
- (xvi) का.आ. 2617(अ), तारीख, 27 अगस्त, 2013;
- (xvii) का.आ. 1258(अ), तारीख 9 मई, 2014;
- (xviii) का.आ. 3107(अ), तारीख, 17 नवंबर, 2015;
- (xix) का.आ. 1968(अ), तारीख 22 जून, 2017;
- (xx) का.आ. 3434(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017; तथा
- (xxi) सा.का.नि. 432(अ), तारीख 08 जून, 2022 ।

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

## (Department of Personnel and Training)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2022

**G.S.R. 830(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 21<sup>st</sup> November, 2022 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall apply to the following four Regional Boards of Apprenticeship or Practical Training, being autonomous bodies under the Ministry of Education and for the said purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.730(E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 1986, namely:-

In the Schedule to the said notification, after serial number 215 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	
"216.	Board of Practical Training, Eastern Region, Kolkata	Autonomous body under the Ministry of Education	f
217.	Board of Apprenticeship Training, Western Region, Mumbai	Autonomous body under the Ministry of Education	f
218.	Board of Apprenticeship Training, Northern Region, Kanpur	Autonomous body under the Ministry of Education	f
219.	Board of Apprenticeship Training, Southern Region, Chennai	Autonomous body under the Ministry of Education".	f


[F. No.P-13030/1/2022-AT]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secv.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 730 (E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 1986 and subsequently amended *vide* following notifications numbers, namely:-

- (i) G.S.R. 1172 (E), dated the 31<sup>st</sup> October, 1986;
- (ii) G.S.R. 84 (E), dated the 6<sup>th</sup> February, 1987;
- (iii) G.S.R. 409 (E), dated the 20<sup>th</sup> April, 1987;
- (iv) G.S.R. 542 (E), dated the 11<sup>th</sup> July, 1995;
- (v) G.S.R. 748 (E), dated the 17<sup>th</sup> December, 1998;
- (vi) G.S.R. 8 (E), dated the 4<sup>th</sup> January, 2002;
- (vii) G.S.R. 499 (E), dated the 23<sup>rd</sup> August, 2006;
- (viii) S.O. 1228 (E), dated the 25<sup>th</sup> July, 2007;
- (ix) S.O. 1823 (E), dated the 25th October, 2007;
- (x) S.O. 906 (E), dated the 22<sup>nd</sup> April, 2008;
- (xi) S.O. 2580 (E), dated the 31<sup>st</sup> October, 2008;
- (xii) S.O. 2824 (E), dated the 1<sup>st</sup> December, 2008;
- (xiii) S.O. 727 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2010;
- (xiv) S.O. 2411(E), dated the 4<sup>th</sup> October, 2010;
- (xv) S.O. 958(E), dated the 12<sup>th</sup> April, 2013;
- (xvi) S.O. 2617(E), dated the 27<sup>th</sup> August, 2013;
- (xvii) S.O. 1258(E), dated the 9<sup>th</sup> May, 2014;

- (xviii) S.O. 3107(E), dated the 17<sup>th</sup> November, 2015;
- (xix) S.O. 1968(E), dated the 22<sup>nd</sup> June, 2017;
- (xx) S.O. 3434(E) dated the 27<sup>th</sup> October, 2017; and
- (xxi) G.S.R. 432(E) dated the 08<sup>th</sup> June, 2022.



# HRC an USIVA The Gazette of India

## असाधारण EXTRAORDINARY

NAM II—NOS 2—EQ-NOS (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

W 219

मई दिल्ली, शुक्रवाए, मई 2, 1986/वैशाख 12, 1908

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 1986/VAISAKHA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अरुव संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंज्ञालय

(कामिक स्रोर प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली, 2 मई, 1986

## मधिसूचना

सा. का. ति. 730 (म) :—प्रशासिक भिष्ठिरण मिछिनियम, 1885 (1985 का 13) की धारा 14 की उपद्यारा (2) द्वारा प्रवत्त तिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्ह्वारा 12 मई, 1986 को उसतारीख के रूप में विनिद्धित्व करती है जिस तारीख से उक्त भिष्ठिनियम की घरा 14 की उपधारा (3) के उपबन्ध नीचे भनुसूची में दिए गए निवनों या समितियों भीर प्राधिकरणों पर लागृहोंगे ग्योक से नियम सा समितियों भीर प्राधिकरणों पर लागृहोंगे ग्योक से नियम सा समितियों भीर अन्य प्राधिकरण सरकार के स्वामित्वाधीन सा सरकार हारा नियंत्रित हैं :—

#### पन रुची

कम निगम/सिमिति/भन्य प्राधिकरण का माम

गं.

1 2 3

1. कर्नजारी भविष्य निधि तथा विविध उपवन्ध प्रधि- सोविधिक निकास
निगम, 1952 के प्रधीन स्यापित सेन्द्रल बोर्ड ,

Ĺ			ند	
2.	कर्मचारी	राज्य	 बीमा	निगम

णिगम

3 केन्द्रीय कार्यकर्त्ता शिक्षा बोद्धें

पंजीकृत समिति

3

राष्ट्रीय श्रम संस्थान
 राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनमाद

पंजीकृत समिति पंजीकृत समिति

[सं. ए.-11019/16/86-ए.टी.] पी. जी. सेसे, निवेशक

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training) New Delhi, the 2nd May, 1986

### NOTIFICATION

GSR 730 (E):—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 12th day of May, 1936, as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall

and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

[No. A-11019/16/86-AT]
P. G. LELF. Director